न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.-2010/00153

मिसल नम्बर–07/2006

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

.....प्रार्थी।

बनाम

संपदा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, राजस्थान वृत्त, जयपुर, पी–21, तुलसी मार्ग, बनी पार्क, जयपुर।

.....अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना पत्र)

दिनांक 07/07/2025

उपस्थितिः–

1.श्री रामचन्द्र गोयल एवं श्री अशोक कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी।

2.सरकार पैरोकार।

पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के आदेश दिनांक 27.09.2005 से प्रतिप्रेषित होने के उपरांत पुनः दर्ज की गई।

प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.1999 को वास्ते वर्तमान भू–प्रबंध जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2024 तथा भू प्रबन्धन जमाबंदी 2038 से 2057 के इन्द्राज को निरस्त करने तथा ग्राम डडवाड़ा के खसरा संख्या 70 रकबा 114.83 हौ को राजकीय भूमि किस्म गै.मु. आबादी दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया था, जोकि इस न्यायालय में मिसल नं. 70/97 दर्ज किया गया तथा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.2001 के द्वारा तहसीलदार, लाडपुरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इंद्राज दुरूस्ती करने हेतु आदेश दिया गया। जिसके अनुसार ग्राम डडवाड़ा का खसरा नं. 70 रकबा 114.83 है. को सिवायचक दर्ज किया गया।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.2001 से व्यथित हो परिवादी संपदा अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, राजस्थान वृत्त, जयपुर, पी–21, तुलसी मार्ग, बनी पार्क, जयपुर द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के समक्ष अपील संख्या 14/2002/अपील/ एल.आर. एक्ट/कोटा न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.09.2005 द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 07.03.2001 निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा को प्रतिप्रेषित किया गया कि न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
को

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

दोनों पक्षों को सुनवाई को अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन कर व्यवस्थित ढंग से निर्णय पारित करे।

रिमाण्ड प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी तहसीलदार लाडपुरा को तलब किया गया।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वादग्रस्त आराजी का विवरण प्रस्तुत करते हुये निवदेन किया गया कि–

सम्वत् 2016 – 2024 के बन्दोबस्त के अनुसार उपर्यक्त खसरा नम्बरान का जो खाता पड़त मजकुर दर्ज थे उन्हे किस्म व खाता परिवर्तन कर बन्दोबस्त विभाग द्वारा महकमा मिलिट्री के खाते में दर्ज कर लिया गया, जिसका विवरण निम्न है :–

खाता संख्या	खाता	ख. नं.	रक्बा	किस्म
	पड़त मजकूर	155/3	24 बी. 3 बि.	नालायक चांदमारी
		320/3–4	2 बी. 17 बि.	-do-
		201/5	17 बिस्वा	-do-
		202/5	6 बिस्वा	-do-
		6	5 बी. 3 बि.	-do-
		7	5 बी. 7 बि.	-do-
		348/132	6 बी. 2 बि.	गै.मुम. चांदमारी
		349/132	7 बिस्वा	नालायक चांदमारी
		350/132	4 बी. 14 बि.	-do-
		133 मि.	11 बी. 10 बि.	-do-
		258/96	4 बी. 10 बि.	चौकी पुलिस
		31/9/131	1 बी. 6 बि.	नालायक चांदमारी
		2 मिन	43 बी. 4 बि.	नालायक बेहड़
		375/3	7 बी. 14 बि.	नालायक बेहड
		351/135–136	12 बी. 9 बि.	नालायक चांदमारी

खाता	ख. नं.	रक्बा	किस्म	गत ख. नं. जिससे नम्बर बना	किस्म
महकमा मिलिट्री	132	627 बी. 3 बि.	गै.मु. चांदमारी	155/3	का.ना.
				320/34	-do-
				201/5	-do-
				202/5	-do-

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

				6	-do-
				7	-do-
	133	2 बी. 19 बि.	बंजड़	348/132 मि.	नालायक
				349/132 मि.	-do-
	134	5 बी. 17 बि.	गै.मुम. आबादी	350/132 मि.	-do-
				133 मि.	-do-
	135	2 बी. 18 बि.	बंजड़	350/132 मि.	-do-
	138	4 बी. 5 बि.	बंजड़	350/132 मि.	-do-
				258/96	-do-
				393/98 मि.	-do-
				319/131 मि.	-do-
				133 मि.	-do-
	139	4 बी. 2 बि.	गै.मुम. आबादी	393/98 मि.	-do-
				319/131 मि.	-do-
	132/336	6 बी. 14 बि.	गै.मु. नाला		-do-
	132/340	4 बी. 15 बि.	बंजड़	351/135 मि.	बाजू
	132/341	8 बिस्वा	बंजड़	133 मि.	-do-
				319/121 मि.	-do-
				393/98 मि.	-do-
	132/342	47 बी. 13 बि.	गै.मु. चांदमारी	2 मि.	नालायक
				375/3	-do-
				155/3	-do-

खसरा तरमीम के मुताबिक संवत् 2016 में खसरा नम्बरान 133, 134, 135, 138, 139, 132/336, 132/340, 132/341, 132/342 जो कि पुराने नम्बरान जिनका वर्णन उपर दिया गया है तथा जो खाता पड़त मजकुर में दर्ज किए गए हैं। उन्हे सहायक भू–प्रबंध अधिकारी के आदेश मिसल नं. 21 दिनांक 23.11.62 के द्वारा सिवायचक से काटकर व किस्म परिवर्तन कर महकमा मिलिट्री के खाते दर्ज करने का नोट अंकित किया हुआ है।

जिला अभिलेखागार, कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लेखित मिसल संख्या 21 दिनांक 23.11.1962 रिकॉर्ड में होना नहीं पाया जाता है जिससे खाता व किस्म परिवर्तन करने की पुष्टी न होने से इस प्रकार किया गया परिवर्तन आधारहीन एवं निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अतः प्रार्थना है कि वर्तमान में भू–प्रबंध जमाबन्दी सं. 2016 से 2024 तथा भू–प्रबंध जमाबंदी संख्या 2038 से 2057 के इन्द्राजात जिसका विवरण उपर दर्ज है को निरस्त करने तथा ग्राम डडवाड़ा के खसरा संख्या 70 रकबा 114.83 है. वाके ग्राम की राजकीय भूमि किस्म गैरमुमकिन आबादी दर्ज करने के आदेश फरमावें।

➢ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि–

विषयगत मामले में शामिल रक्षा भूमि का उपयोग पहले सन 1948 से प्रशिक्षण एवं फायरिंग रेन्ज (चांदमारी) के उद्देश्य के लिये किया जाता था, तथा उस समय यह भूमि चांदमारी घोषित की गयी थी और बाद में उक्त भूमियाँ अनुच्छेद 294/295 के तहत सेना की भूमियाँ सेना (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय) में ही निहित कर दी गयी थी और 1950 में उन भूमियों का हेन्डिंग टेकिंग हो गया था। इस सम्बन्ध में वर्ष 1948 में तैयार किये गये म्यूटेशन सर्टीफिकेट की एक प्रति भी **अनुलग्नक– ए** के रूप में संलग्न की जा रही है। जिससे स्थापित होता है कि विवादित भूमि पूर्व कोटा रियासत की सम्पत्ति थी और फायरिंग (चांदमारी) के उद्देश्य से उपयोग की जाती थी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 294 एवं 295 के प्रावधान के अनुसार राज्य के भारत संघ में विलय के समय, पूर्व राज्य बलों की सम्पत्तियों/भूमि का कब्जा राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचिव श्री के०पी०यू० मेनन द्वारा ग्राम खेडली पुरोहित तहसील लाडपुरा जिला–कोटा में कुल रक्षा भूमि 152 बीघा दिनांक 04–12–1950 को सेना के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया था, जिसका कोटा के विभिन्न राजस्व ग्रामो में स्थित रक्षा भूमि के हेडिंग टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र – नक्शा भी तैयार किया गया था। और उसके बाद रक्षा भूमि को Q.M.G./L.M.A. के हिरासत, नियंत्रण और प्रबंधन में रखा गया था। विषयगत रक्षा भूमि दिनांक 04–12–1950 से कोटा में स्थानीय सैन्य अधिकारी के कब्जे में सौपी गयी थी। इस बाबत 1950 बोर्ड की कार्यवाही के साथ सौपने/लेने (हेण्डिंग टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र) के दस्तावेजों की एक प्रति (**1950 बोर्ड अनुलंग्नक बी**) (हेण्डिंग टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र **अनुलंग्नक बी–1**) (रक्षा भूमि के हेंडिंग टेकिंग ओवर नक्शा **अनुलंग्नक बी–2**) के रूप में संलग्न है। 1950 के दौरान विषयगत रक्षा भूमि को सौंपने के बाद, प्रथम भू–प्रबंधन के समय भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पक्ष में नामांतरित कर दिया था। इस सन्दर्भ में जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2024 और सम्वत् 2038 से 2057 की प्रतियां **अनुलंग्नक–सी** के रूप में संलग्न है।

कोटा में भूतपूर्व राज्यबलों की रक्षा भूमि, जिसे 04–12–1950 को AGE Delhi Div. के माध्यम से भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को सौपा गया था। प्लान एवं सीमा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

का विवरण सुनिश्चित कर सत्यापन करने का कार्य एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा 1972 में किया गया। जिसमे सैन्य अधिकारियों के अलावा राज्य के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि नायाब तहसीलदार कोटा एवं सम्बंधित पटवारी भी भाामिल थे। उन्होंने कोटा के विभिन्न राजस्व ग्रामों में स्थित समस्त रक्षा भूमियों का मानचित्र एवं खसरा वाइज विवरण संकलित कर सत्यापित किया। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के **सलंग्नक अनुलग्न डी** के अनुसार भी यह खसरा नंबर खसरा नंबर 30 से लगातार 67 कुल रकबा 155 बीघा 18 बिस्वा के रूप में रक्षा भूमि में शामिल था जिसे बाद में नया खसरा नंबर 6 से लेकर 119 में परिवर्तन कर कुल रकबा 25.08 हेक्टेयर (अथवा 154.56 बीघा) कर दिया गया। जो सन 2001 तक महकमा मिलिट्री के नाम से दर्ज रहा। इसके अलावा, इस भूमि पर एल एम ए (स्थानीय सैन्य प्रशासन) के अधिकार क्षेत्र में है। इसके पश्चात सन 2001 में नाजायज रूप से तथा एक तरफा कार्यवाही करते हुए इस रक्षा भूमि सिवायचक घोषित कर दी गयी जिससे अपील संख्या 13/2002 द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में चुनौती दी गयी। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा ने मामले को उचित मानते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर व्यवस्थित ढंग से निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया।

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में निर्णित प्रकरण संख्या 69/97 में वादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र के के अनुसार यह कहना गलत हैं कि पुराने खसरा नम्बर 28, 30, 31, 33, 34 एवं 35 खाता पडत मजकूर थे बल्कि यह सभी खसरा नम्बर हेन्डिंग टेकिंग सूची के अनुसार दिनांक 04.12.1950 को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को सुपुर्द कर दिए गए थे। (1950 में ग्राम खेड़ली पुरोहित में मिली कुल रकबा भूमि जिसके खसरा नम्बरों की सूची का सत्यापन 1960 के वेफिकेशन बोर्ड में किया गया था, **अनुलग्न डी –1**)

इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के (7) और (8) **अनुलग्नक– ई** में कहा गया है कि –

16. **भूमियाँ जिनमें खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे** इस अधिनियम में अथवा (राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियमित में) किसी बात के होते हुए, खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में, प्रोद्भूत नहीं होंगे–

(7) भूमि जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय या तत्पश्चात् किसी समय सैनिक पड़ाव स्थलों के लिये नियत कर दी जायः

(8) किसी छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमिः

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जब एक बार किसी भूमि को रक्षा भूमि घोषित करके राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया हो उसके पश्चात उस भूमि को अन्य के खातेदारी अधिकार में प्रोद्भूत नहीं कर सकते।

दिनांक 04.12.1950 को सेना द्वारा अधिग्रहित की गयी भूतपूर्व राज्य सेना की भूमि को भी ACR, नियम 1944 के प्रावधान के अनुसार रक्षा संपदा कार्यालय, जयपुर द्वारा एम.एल.आर. में दर्ज किया गया था। एम.एल.आर. एक्सट्रैक्ट की एक प्रति **अनुलग्नक एफ** के रूप में संलग्न है। रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा बनाए गए एम.एल. आर. को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ एवं अन्य बनाम एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत) प्रतिनिधि और अन्य रिपोर्टेड इन 2021 (20) SCC 321 में पैरा संख्या 47 में कानूनी तौर से Indian Evidence Act, 1872 के Section 74 के अंतर्गत पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं को स्वीकार किया है (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2021 की प्रति **अनुलग्नक–जी** के रूप में सलग्न) आदेश के कंटेंट निम्न प्रकार से उल्लेखित हैं –

"44. Apart from the fact that the transfer of title in favour of the Union is complete when the possession was delivered, but even thereafter, the military land register and general land register produced by the appellants show the possession of the appellants over such land. The military land register and general land register are public documents within the meaning of Section 74 of the Indian Evidence Act, 1872 (Evidence Act) containing the records of the acts of the sovereign authority i.e., the Union as well as official body. Still further, Section 114 of the Evidence Act grants presumption of correctness being an official act having been regularly performed. Therefore, in the absence of any evidence to show that such records were not maintained properly, the official record containing entries of ownership and possession would carry the presumption of correctness. In view of the transfer of land on 10.10.1956 followed by delivery of possession on 19.3.1958 and continuous assertion of possession thereof, it leads to the unequivocal finding that appellants are owners and in possession of the suit land."

माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटा में निर्णित प्रकरण संख्या 69/97 में वादी राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि "जिला अभिलेखागार, कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लेखित मिसल संख्या 21 दिनांक 23.11.1962 रिकॉर्ड में होना नहीं पाया गया है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

माननीय सर्वोच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायलय के कथनानुसार राजस्व विभाग के दस्तावेज के अभाव में भी एम.एल.आर. को ही कानूनी तौर पर वैध दस्तावेज माना जाएगा।

इसके अलावा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी एम. एल. आर. को कानूनी तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है और डी. बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 590/2005 शीर्षक भारत संघ एवं अन्य बनाम राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर एवं अन्य के साथ जुड़े 04 मामलों में में दिनांक 26.03.2025 को आदेश पारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 26.03.2025 की प्रति अनुलग्नक–एच के रूप में संलग्न है।

सेना विभाग द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है:–

1. म्यूटेशन सर्टिफिकेट सन् 1948
2. बोर्ड 1950
3. Handing , Taking over B-1
4. Map B-2
5. जमाबंदी 2016–2024 तथा 2038–2057
6. 1972 का बोर्ड
7. वेरिफिकेशन बोर्ड 1960
8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 E
9. MLR – E
10. SC Order 27.08.2021 G
11. HC Order 26.03.2025

➢ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पुनः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि–

यह कि माननीय अदालत मातहत एसडीओ कोटा ने अपने आदेश दिनांक 07–03–2001 द्वारा मुतफरिक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत जो कि तहसीलदार साहब लाडपुरा द्वारा अदालत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसमें प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खसरा नम्बर– 70 रकबा 114.83 हैक्टेयर को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे। माननीय अदालत ने अपने आदेश दिनांक 07–03–2001 के द्वारा तहसीलदार लाडपुरा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उपरोक्त आराजी को मिलेट्री विभाग के खाते से गलत इन्द्राज के आधार पर निकालकर सिवायचक दर्ज करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया था। जिसकी अपील माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त कोटा के यहां प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा संविधान

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के अनुच्छेद 131 व 295 के आधार पर दिनांक 27.09.2005 द्वारा माननीय न्यायालय एसडीओ कोटा का निर्णय निरस्त कर निम्न आदेश दिया गया था।

" पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा आदेश दिनांक 7.3.2001 से भू प्रबन्ध विभाग को बिना किसी आधार के विवादित भूमि रक्षा मंत्रालय विभाग के खाते दर्ज कर किस्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होने के कारण खसरा नम्बर 70 रकबा 114.83 हैक्टर भूमि रक्षा मंत्रालय विभाग के खाते से हटाकर सिवाय चक खाते दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमद दरामद करने का आदेश तहसीलदार लाडपुरा को दिया गया है। इस प्रकरण में यह एक स्पष्ट एवं निर्विवाद स्थिति है कि यह भूमि कोटा रियासत के समय से चाँदमारी के रूप में काम आ रही थी। तथा दिनांक 4.12.1950 को निस्पादित कब्जा ग्रहण प्रमाण पत्र भी इस संबंध में काफी महत्वपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए था कि यह प्रकरण दो सामान्य पक्षकरों के बीच का नहीं है। इसमें एक पक्षकार भारत संघ का रक्षा मंत्रालय है जिनके कब्जे में यह भूमि लम्बे समय तक रही है। अतः ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। निश्चित ही अनुच्छेद 131 व 295 भारतीय संविधान को ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के समय नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात की प्रबल संभावनाएं हो सकती है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मिली भगत से इस भूमि के कुछ भाग पर भी गैर सैनिक लोगों ने अतिक्रमण कर लिये हों तथा नुमायशी पट्टे भी तैयार किये हों। यह भी एक तथ्यात्मक स्थिति है कि कुछ दीवानी न्यायालयों ने अतिकमियों के पक्ष में निर्णय भी दिये है जो पत्रावली पर है फिर भी समस्त ऐसी भूमि को ऐसा नहीं माना जा सकता।

यह न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को विधि सम्मत नहीं पाता है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.3.2001 एतद निरस्त किया जाता है। प्रकरण उप खण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे दोनों पक्षों को सुनवायी का अवसर प्रदान करें। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करें तथा आवश्यक हो तो मौका निरीक्षण भी करें तथा इसके बाद व्यवस्थित ढंग से निर्णय पारित करें।'

जिसके पश्चात से ही उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में जैरक़ार है, जिसमें दिनांक 30–05–2025 को लिखित बहस पेश कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में कुछ अन्य जानकारियां विभाग से प्राप्त हुई है, जिसके कारण उक्त प्रकरण में मजिद लिखित बहस तर्क दस्तावेज के आधार पर श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है।

2. विषयगत मामले में शामिल रक्षा भूमि का उपयोग पहले सन 1933 से प्रशिक्षण एवं फायरिंग रेन्ज (चांदमारी) के उद्देश्य के लिये किया जाता था, तथा उस समय यह भूमि चांदमारी घोषित की गयी थी और बाद में उक्त भूमियाँ

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

अनुच्छेद 294/295 के तहत सेना की भूमियाँ सेना (भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय) में ही निहित कर दी गयी थी और 1950 में उन भूमियों का हेन्डिंग टेकिंग हो गया था। इस सम्बन्ध में वर्ष 1933 में तैयार किये गये म्यूटेशन सर्टीफिकेट की एक प्रति भी अनुलंग्नक– ए के रूप में संलग्न की जा रही है।। जिससे स्थापित होता है कि दिवादित भूमि पूर्व कोटा रियासत की सम्पत्ति थी और फायरिंग (चांदमारी) के उद्देश्य से उपयोग की जाती थी।

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 294 एवं 295 के प्रावधान के अनुसार राज्य के भारत संघ में विलय के समय, पूर्व राज्य बलों की सम्पत्तियों / भूमि का कब्जा राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचिव श्री के०पी०यू० मेनन द्वारा ग्राम डडवाड़ा तहसील लाडपुरा जिला–कोटा में कुल रक्षा भूमि 627 वीघा 08 विस्वा जो पुराने खसरा नंबर 155/3 से लेकर 277/27 में स्थित थे जैसा कि हेन्डिंग टेकिंग ओवर सूची में दिया गया हैं, दिनांक 04–12–1950 को सेना के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया था, जिसका हेन्डिंग टेकिंग नक्शा भी तैयार किया गया था। और उसके बाद रक्षा भूमि को Q.M.G./ L.M.A. के हिरासत, नियंत्रण और प्रबंधन में रखा गया था। विषयगत रक्षा भूमि 04–12–1950 से कोटा में स्थानीय सैन्य अधिकारी के कब्जे में सौपी गयी थी। इस बाबत 1950 बोर्ड की कार्यवाही के साथ सौपने/लेने (हेण्डिंग टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र) के दस्तावेजों की एक प्रति (1950 बोर्ड अनुलंग्नक बी) (हेण्डिंग टेकिंग ओवर प्रमाण पत्र अनुलंन्त्रक बी–1) (रक्षा भूमि के हेंडिंग टेकिंग ओवर नक्शा अनुलंग्नक बी–2) के रूप में संलग्न है। 1950 के दौरान विषयगत रक्षा भूमि को सौंपने के बाद, प्रथम भू–प्रबंधन के समय भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पक्ष में नामांतरित कर दिया था। इस सन्दर्भ में जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2024 और सम्वत् 2038 से 2057 की प्रतियां अनुलंग्नक–सी के रूप में संलग्न है।

4. यह कि कोटा में भूतपूर्व राज्यबलों की रक्षा भूमि, जिसे 04–12–1950 को AGE Delhi Div. के माध्यम से भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय को सौपा गया था। प्लान एवं सीमा का विवरण सुनिश्चित कर सत्यापन करने का कार्य एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा 1972 में किया गया। जिसमे सैन्य अधिकारियों के अलावा राज्य के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि नायाब तहसीलदार कोटा एवं सम्बंधित पटवारी भी सामिल थे। उन्होंने कोटा के विभिन्न राजस्व ग्रामों में स्थित समस्त रक्षा भूमियों का मानचित्र एवं खसरा वाइज विवरण संकलित कर सत्यापित किया। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के अनुलग्न डी के अनुसार भी यह खसरा नंबर 132, 133, 134, 135, 138, 139, 132/136, 132/340, 132/341, 132/342 एवं 140/350 कुल रकबा 709 बीघा 5 विस्वा के रूप में रक्षा भूमि में शामिल था

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जिसे बाद में नया खसरा नंबर 70 रकबा 114.83 हेक्टेयर कर दिया गया। जो सन 2001 तक महकमा मिलिट्री के नाम से दर्ज रहा। इसके अलावा, इस भूमि पर एल.एम.ए (स्थानीय सैन्य प्रशासन) का कब्जा है। इसके पश्चात सन 2001 में नाजायज रूप से तथा एक तरफा कार्यवाही करते हुए इस रक्षा भूमि सिवायचक घोषित कर दी गयी जिससे अपील संख्या 14/2002 द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में चुनौती दी गयी। माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा में मामले को उचित मानते हुए प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर व्यवस्थित ढंग से निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया।

5. उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना हैं कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में निर्णित प्रकरण संख्या 70/97 में वादी राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र के पैरा 4 एवं 5 के अनुसार यह कहना गलत है कि पुराने खसरा नम्बर 348/132, 349/132, 350/132, 133, 319/131, 351/135, एवं 155/3 खाता पडत मजकूर थे बल्कि यह सभी खसरा नम्बर हेन्डिंग टेकिंग सूची के अनुसार दिनांक 04.12.1950 को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को सुपुर्द कर दिए गए थे। (1950 में मिले खसरों की सूची जो अनुलग्नक बी के रूप में पेश की गयी है जिसे 1960 के वेरिफिकेशन बोर्ड में सत्यापित किया गया था जो की स्पष्ट पठनीय स्थिति में है, अनुलग्न डी –1) तथा खसरा नंबर 393/98, 2 उपद तथा 375/3 हेन्डिंग टेकिंग नक्शे पर लाल स्याही से मार्क की गयी रक्षा भूमि की सीमा के अन्दर थे और महकमा सेना के अधिकार क्षेत्र में थे।

6. यह कि इसके अलावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के (7) और (8) अनुलग्नक–ई में कहा गया है कि –

16. **भूमियाँ जिनमें खातेदारी अधिकार प्रोभूत नहीं होंगे**–इस अधिनियम में अथवा (राज्य के किसी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या अधिनियमित में, किसी बात के होते हुए, खातेदारी अधिकार निम्नलिखित में, प्रोद्भूत नहीं होंगे–

(7) भूमि जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय या तत्पश्चात् किसी समय सैनिक पड़ाव स्थलों के लिये नियत कर दी जायः

(8) किसी छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित भूमिः

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अतः जब एक बार किसी भूमि को रक्षा भूमि घोषित करके राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया हो उसके पश्चात उस भूमि को अन्य के खातेदारी अधिकार में प्रोभूत नहीं कर सकते।

1. दिनांक 04.12.1950 को सेना द्वारा अधिग्रहित की गयी भूतपूर्व राज्य सेना की भूमि को भी ACR नियम 1944 के प्रावधान के अनुसार रक्षा संपदा कार्यालय, जयपुर द्वारा एम.एल.आर. में दर्ज किया गया था। एम. एल. आर. एक्सट्रैक्ट की एक प्रति अनुलग्नंक एफ के रूप में संलग्न है। रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा बनाए गए एम. एल.आर. को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ एवं अन्य बनाम एस. नरसिम्हुलु नायडू (मृत) प्रतिनिधि और अन्य रिपोर्टेड इन 2021 (20) SCC 321 में पैरा संख्या 47 में कानूनी तौर से Indian Evidence Act] 1872 के Section 74 के अंतर्गत पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं को स्वीकार किया है (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2021 की प्रति अनुलग्नक जी के रूप में सलग्न) आदेश के कंटेंट निम्न प्रकार से उल्लेखित हैं–

"44. Apart from the fact that the transfer of title in favour of the Union is complete when the possession was delivered, but even thereafter, the military land register and general land register produced by the appellants show the possession of the appellants over such land The military land register and general land register are public documents within the meaning of Section 74 of the Indian Evidence Act, 1872 (Evidence Act) containing the records of the acts of the sovereign authority i.e., the Union as well as official body. Still further, Section 114 of the Evidence Act grants presumption of correctness being an official act having been regularly performed. Therefore, in the absence of any evidence to show that such records were not maintained properly, the official record containing entries of ownership and possession would carry the presumption of correctness. In view of the transfer of land on 10.10.1956 followed by delivery of possession on 19.3.1958 and continuous assertion of possession thereof, it leads to the unequivocal finding that appellants are owners and in possession of the suit land."

उक्तानुसार माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में निर्णित प्रकरण संख्या 70/97 में वादी राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा लगाए गए प्रार्थना पत्र के पैरा 06 में वर्णित कथन किया गया हैं कि (जिला अभिलेखागार,

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कोटा से प्राप्त सूचना के अनुसार उल्लेखित मिसल संख्या 21 दिनांक 23.11.1962 रिकॉर्ड में होना नहीं पाया गया हैं

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायलय एवं उच्च न्यायलय के कथनानुसार राजस्व विभाग के दस्तावेज के अभाव में भी एम.एल.आर. को ही कानूनी तौर पर वैध दस्तावेज माना जाएगा।

इसके अलावा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने भी एम.एल. आर को कानूनी तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है और डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 590/2005 शीर्षक भारत संघ एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं अन्य के साथ जुड़े 04 मामलों में दिनांक 26.03. 2025 को आदेश पारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 26.03.2025 की प्रति अनुलग्नक एच के रूप में संलग्न है। (कृ पया इसके पैरा 13 का सन्दर्भ लें)

2. इस प्रकार से उक्त प्रकरण में मजिद बहस तर्क एवं दस्तावेजों के साथ श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अनुसार इस प्रकरण में तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला–कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रेवेन्यू एक्ट के अनुसार चाहे गये राजस्व रिकॉर्ड अंकन को फेरबदल करने की कोई भी परिस्थिति वाली स्थिति प्रकरण में नहीं होने व उक्त प्रकार की परिस्थिति व उक्त प्रकार रहे राजस्व रिकॉर्ड अंकन के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित किये गये उज्रात किसी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य व न्यायोचित नहीं माना जाना मानते हुए प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा पेश इस कार्यवाही/प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा ग्राम डडवाडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नंबर 70 रकबा 114.83 हेक्टेयर भूमि को पुनः भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के नाम पर नामांतरित कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का आदेश फरमावे।

➢ राजकीय पेरोकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि–

➢ विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2001–2004 के अनुसार सिवायचक गैरमुमकिन दर्ज रिकार्ड है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या	खाता	ख. नं.	रक्बा	किस्म
		155/3	24 बी. 3 बि.	नालायक चांदमारी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

	पड़त मजकूर	320/3–4	2 बी. 17 बि.	–
		201/5	17 बिस्वा	–
		202/5	6 बिस्वा	–
		6	5 बी. 3 बि.	–
		7	5 बी. 7 बि.	–
		348/132	6 बी. 2 बि.	गै.मुम. चांदमारी
		349/132	7 बिस्वा	नालायक चांदमारी
		350/132	4 बी. 14 बि.	–
		133 मि.	11 बी. 10 बि.	–
		258/96	4 बी. 10 बि.	चौकी पुलिस
		31/9/131	1 बी. 6 बि.	नालायक चांदमारी
		2 मिन	43 बी. 4 बि.	नालायक बेहड़
		375/3	7 बी. 14 बि.	नालायक बेहड
		351/135–136	12 बी. 9 बि.	नालायक चांदमारी

➤ दौराने भू–प्रबन्ध 2016–24 उपरोक्त खसरा नम्बरान् जो खाता पडत मजकूर दर्ज थे को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किस्म व खाता परिवर्तित करते हुये बिना किसी अधिकारिता व बिना किसी सक्षम आदेश के महकमा मिलिट्री के खाते दर्ज कर दिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

खाता	ख. नं.	रकबा	किस्म	गत ख. नं. जिससे नम्बर बना	रक्बा	किस्म
महकमा मिलिट्री	132	627 बी. 3 बि.	गै.मु. चांदमारी	155/3		का.ना.
				320/34		–
				201/5		–
				202/5		–
				6		–
				7		–
	133	2 बी. 19 बि.	बंजड़	348/132 मि.		नालायक
				349/132 मि.		–
	134	5 बी. 17 बि.	गै.मुम. आबादी	350/132 मि.		–
				133 मि.		–
	135	2 बी. 18 बि.	बंजड़	350/132 मि.		–
	138	4 बी. 5 बि.	बंजड़	350/132 मि.		–
				258/96		–
				393/98 मि.		–
				319/131 मि.		–
				133 मि.		–
	139	4 बी. 2 बि.		393/98 मि.		–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

			गै.मुम. आबादी	319/131 मि.		–
	132/336	6 बी. 14 बि.	गै.मु. नाला			–
	132/340	4 बी. 15 बि.	बंजड़	351/135 मि.		बाजू
	132/341	8 बिस्वा	बंजड़	133 मि.		–
				319/121 मि.		–
				393/98 मि.		–
	132/342	47 बी. 13 बि.	गै.मु. चांदमारी	2 मि.		नालायक
				375/3		–
				155/3		–

भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त परिवर्तन बिना अधिकारिता व बिना सक्षम आदेश के किये जाने के कारण गैरकानूनी होने से निरस्त होने योग्य है।

- सेना विभाग द्वारा अंकित किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के आधार पर उक्त भूमि सेना विभाग को प्राप्त हुई है तथा सेना विभाग को 04.12.1950 को उक्त भूमि राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि को सम्भलाई गई थी।
- यदि उक्त तथ्य को भी स्वीकार कर लिया जाये तो भी भूमि स्थानान्तरण का कोई सक्षम आदेश किसी सक्षम स्तर से जारी होना चाहिये था जो सेना विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मात्र कब्जा सम्भालने के दस्तावेजों के आधार पर भूमि को सेना विभाग के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता।
- सेना विभाग द्वारा अंकित किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के आधार पर उक्त भूमि सेना विभाग को प्राप्त हुई है तथा सेना विभाग को 04.12.1950 को उक्त भूमि राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि को सम्भलाई गई थी।
- यदि उक्त तथ्य को स्वीकार कर भी लिया जाये तो सेना विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तोवेजों के आधार पर 1950 में ग्राम डडवाडा में सेना विभाग को कुल 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रदान किया गया था। दौराने भू–प्रबन्ध सम्वत् 2016–24 ग्राम डडवाडा में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मिसल नं. 21 दिनांक 23.11.1962 के द्वारा 716 बीघा 07 बिस्वा भूमि महकमा मिलिट्री के खाते दर्ज की गई जो उन्हें सम्भलाई गई भूमि से 88 बीघा 19 बिस्वा अधिक है। स्पष्टतया यदि सेना विभाग के तर्क को भी मान लिया जाये तो भी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेना विभाग के खाते 88 बीघा 19 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज की गई है जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

- भू–प्रबन्ध जमाबन्दी सम्वत् 2016–24 में महकमा मिलिट्री के खाते 716 बीघा 07 बिस्वा भूमि दर्ज की गई थी जिसको मेट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करने पर 115.96 है0 बनते हैं।
- दौराने भू–प्रबन्ध सम्वत् 2038–2057 में संलग्न जमाबन्दी अनुसार ग्राम डडवाडा में महकमा मिलिट्री के खाते 117.67 है0 भूमि दर्ज की गई जो भू–प्रबन्ध से पूर्व के रकबे से 16.11 है0 अधिक है।इस प्रकार भू–प्रबन्ध सम्वत् 2016–24 तथा सम्वत् 2038–57 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा महकमा मिलिट्री के खाते 1.71 है0 भूमि बिना किसी आदेश व बिना अधिकारिता के अधिक दर्ज की गई है जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।
- इस प्रकार यदि सेना विभाग के समस्त तर्कों को स्वीकार भी कर लिया जाये तो यह तथ्य रिकार्ड से प्रमाणित है कि सेना विभाग को 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि का कब्जा सम्भलाया गया था जिसके मेट्रिक प्रणाली में 101.56 है0 होते हैं। इस प्रकार भू–प्रबन्ध सम्वत् 2016–24 तथा सम्वत् 2038–57 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा महकमा मिलिट्री के खाते 16.11 है0 भूमि बिना किसी आदेश व बिना अधिकारिता के अधिक दर्ज की गई है जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था जिसे सिवायचक दर्ज किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर हस्तगत आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमावें।

- पेरोकार सरकार की बहस उपरांत विद्वान अभिभाषक सेना विभाग द्वारा पुनः लिखित बहस प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गयी।

- विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि–

यह कि दिनांक 4.12.1950 को पूर्व महाराजा कोटा की सेना की भूमि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय को सुपुर्द की गयी थी। कब्ज़ा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र तथा नक्शा जिस पर पूर्व महाराज कोटा की सेना की भूमि का स्पष्ट अंकन किया गया है उसी के आधार पर उक्त भूमि रक्षा भूमि हुई अतः एव कब्ज़ा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र को साथ संलग्न नक्शा के साथ पढ़ा जाना न्याय हित में जरूरी है.

कब्ज़ा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राम डडवाडा की पूर्व रियासत की सेना की भूमि रकबा 627 बीघा 8 बिस्वा अंकन है। कब्ज़ा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राम डडवाडा की भूमि का विवरण संलग्न प्रदर्श 1 है तथा ग्राम डडवाडा की पूर्व रियासत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की सेना भूमि का नक्शा जो की 4.12.1950 को सुपुर्द किया गया था उसमे अंकित खसरान का विवरण संलग्न एवं प्रदर्श 2 है।

प्रदर्श 1 एवं 2 के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि ग्राम डडवाडा के 9 खसरां जो कि प्रदर्श 2 में अंकित है लेकिन मानवीय त्रुटियों के कारण सम्भवतया प्रदर्श 1 में अंकित नहीं हुई जिसका विवरण संलग्न एवं प्रदर्श 3 है। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रदर्श 1 रकबा 627 बीघा 8 बिस्वा एवं प्रदर्श 3 में उल्लेखित रकबा 92 बीघा 8 बिस्वा जो कि प्रदर्श 2 में लगाय गए 1950 में दिए नक्शा के सेना की भूमि के अंदर ही स्थित थी को जोड़ने पर ग्राम डडवाडा में सेना भूमि का कुल रकबा 719 बीघा 16 बिस्वा होता है जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 04.12.1950 के बोर्ड एवं कब्ज़ा सुपुर्दगी प्रमाण पत्र के अनुसार सेना को मिला सम्पूर्ण रकबा बीघा बीघा बिस्वा है उसमे किसी प्रकार की शंका/संशय नहीं माना जा सकता।

दिनांक 4.12.1950 को सुपुर्द की गयी पूर्व रियासत की भूमि का नक्शा संलग्न एवं प्रदर्श है जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है।

यह है कि दिनांक 4.12.1950 को सुपुर्द पूर्व रियासत की भूमि पर लगातार सेना का कब्ज़ा रहा है एवं आज भी मौके पर सेना स्वतंत्र रूप से काबिज है। जिस पर निर्बाध रूप से सेना कि गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हो रही है। उक्त बहस के साथ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न किये है–

1. डडवाडा की भूमि का विवरण जो 04.12.1950 एचआईटी सूची का भाग है।
2. दिनांक 04.12.1950 को सुपुर्द भूमि का नक्शा जिस मे सम्पूर्ण भूमि प्रदर्शित है।
3. ऐसे खसरा नम्बरान का विवरण जो 1950 एचआईटी सूची मे शामिल नही थे किन्तु उपयुक्त नक्शे मे प्रदर्शित रक्षा भूमि सीमा के अंदर स्थित है।
4. दिनांक 04.12.1950 के उपयुक्त नक्शे की पठनीय प्रति।

✓ बहस उभयपक्ष सुनी गई।

✓ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी तथा उप0 डीफेन्स स्टेट ऑफिसर द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुये अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

टेकन ऑवर हेण्ड ऑवर दस्तावेज तथा इस बाबत तैयार किये गये नक्शे को एक साथ पढा जावे। प्रार्थी का कथन है कि सेना विभाग को मौके पर 719 बीघा 16 बिस्वा भूमी का ही कब्जा दिया गया था लेकिन सहवन से टेकन ऑवर हेण्ड ऑवर दस्तावेज मे 627 बीघा 8 बिस्वा का अंकन हो गया है। जबकि सम्पूर्ण भूमि पर सेना का ही कब्जा है तथा भू प्रबंध विभाग द्वारा भू प्रबंध ऑपरेसन के समय मौके पर कब्जे के आधार पर भूमि का नामन्तकरण राजस्व रिकोर्ड मे 719 बीघा 16 बिस्वा का अंकन किया गया।

✓ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के बिन्दू संख्या 7 व 8 के अनुसार जो भूमियां इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय या तत्पश्चात किसी सैनिक पडाव स्थल के रूप मे नियत कर दी जावे उनमे खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होगें।

✓ हस्तगत प्रकरण मे वर्णित आराजियात धारा 16 से प्रभावित है, अतः इस आराजियात मे कोई परिवर्तन नही किया जा सकता।

✓ विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि भूतपूर्व राज्य सेना की जो भूमियां सेना द्वारा अधिकृत की गई, एसीआर नियम 1944 के प्रावधान के अनुसार रक्षा सम्पदा कार्यालय द्वारा उन भूमियों को एमएलआर मे दर्ज किया गया था। तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि राजस्व विभाग के दस्तावेज के अभाव मे एम.एल.आर. को ही कानूनी तौर पर वैद्य दस्तावेज माना जायेगा। इस बाबत् विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.08.2021 बउनवान भारत संघ बनाम एस.एन. नायडू का उल्लेख किया गया।

✓ राज्य सरकार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा निवेदन किया गया कि यदि सेना विभाग की सारी बातों को स्वीकार कर भी लिया जाये तो भी प्रश्नगत आराजी सेना विभाग के खाते दर्ज नही की जा सकती–

1. सेना विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक ए से यह प्रमाणित है कि दिनांक 27.04.1933 के आदेश के अनुरूप ग्राम डडवाडा मे कुल 512 बीघा 2 बिस्वा भूमि को चांदमारी हेतु आरक्षित किया गया था।

2. सेना विभाग द्वारा प्रस्तुत टेकन ऑवर हैण्ड ऑवर दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि सेना विभाग को दिनांक 04.12.1950 को 627 बीघा 8 बिस्वा भूमि का ही कब्जा प्रदान किया गया था।

उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

3. सेना विभाग द्वारा प्रस्तुत टेकन ऑवर हैण्ड ऑवर नक्शे पर भी स्पष्टतया अंकित किया गया है कि ग्राम डडवाडा व खेडली पुरोहित मे कब्जा दी गई कुल भूमि 779 बीघा 8 बिस्वा है इसमे से 152 बीघा भूमि ग्राम खेडली पुरोहित की है। इस प्रकार सेना विभाग द्वारा नक्शे से भी यह प्रमाणित होता है कि ग्राम डडवाडा मे दिनांक 04.12.1950 को 627 बीघा 8 बिस्वा भूमि का ही कब्जा प्रदान किया गया है। उपस्थित राजकीय पेरोकार का यह भी कथन है कि जब टेकन ऑवर हैण्ड ऑवर दस्तावेज तथा नक्शे पर कब्जे मे ली गई भूमि का स्पष्ट तोर पर अंकन है तो कब्जे मे ली गई भूमि के निर्धारण के लिए अन्य किसी भी तथ्य को आधार नही बनाया जा सकता।

4. उपस्थित राजकीय पेरोकार का यह भी कथन है कि विद्वान अभिभाषक प्रार्थी तथा डीफेन्स स्टेट ऑफिसर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय दिनांक 27.08.2021 बउनवान भारत सरकार बनाम एस.एन. नायडू मे स्पष्ट तया अंकित किया गया है कि "Apart from the fact that the transfer of title in favour of the Union is complete when the possession was delivered, but even thereafter, the military land register and general land register produced by the appellants show the possession of the appellants over such land.
उक्त निर्णय भी यह प्रमाणित करता है कि सेना विभाग द्वारा जितनी भूमि का कब्जा प्राप्त किया सेना विभाग उतनी भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. राजकीय पेराकार का यह भी कथन है कि सेना विभाग द्वारा अपनी लिखित बहस मे यह स्पष्ट किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के कथनानुसार राजस्व विभाग के दस्तावेज के अभाव मे एमएलआर को ही कानूनी तौर पर वैद्य दस्तावेज माना जायेगा। तथा इस आधार पर सेना विभाग द्वारा क्लेम किया गया है कि सेना विभाग 719 बीघा 16 बिस्वा भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। क्योकि एमएलआर मे ग्राम डडवाडा की 719 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही दर्ज है।

लेकिन हस्तगत प्रकरण पर उक्त आधार लागू नही होता। सेना विभाग द्वारा स्वयं सन् 1933 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार 512 बीघा 02 बिस्वा भूमि को चांदमारी घोषित किया गया था इसके अतिरिक्त सेना विभाग द्वारा स्वयं टेकन ऑवर हैण्ड ऑवर दस्तावेज तथा टेकर ऑवर हैण्ड ऑवर नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि ग्राम डडवाडा मे सेना विभाग को 627 बीघा 8 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रदान किया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

गया था, सेना विभाग द्वारा स्वयं सेटलमेंट की जमाबंदी भी प्रस्तुत की गई है जिसमे सेटलमेंट विभाग द्वारा सेना विभाग के खाते 719 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि सेना विभाग को 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि ही स्थानान्तरित की गई लेकिन भू प्रबंध विभाग द्वारा सहवन से 719 बीघा 16 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी गई जो दुरूस्ती योग्य है।

6. उपस्थित राजकीय पेराकार का यह भी कथन है कि सेना विभाग द्वारा अपनी लिखित बहस मे यह उल्लेख किया गया है कि सैनिक पड़ाव स्थल के रूप मे नियत होने के कारण उक्त भूमि राजस्थान काश्कारी अधिनियम की धारा 16 से प्रभावित है तथा इसमे खातेदारी अधिकारी उत्पन्न नही हो सकते। सरकारी पेराकार का कथन है कि उक्त तथ्य हस्तगत प्रकरण पर लागू नही होता क्योकि टेकन ऑवर हैण्ड ऑवर दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि सेना हेतु 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि ही नियत की गई थी, प्रारम्भ मे सम्पुर्ण भूमि सिवायचक थी अतः 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि सेना विभाग के नाम दर्ज हो जाने की स्थिति मे किसी के खातेदारी अधिकारी उत्पन्न नही होगे वरन् शेष भूमि राज्य सरकार के खाते मे ही दर्ज रहेगी।

7. राजकीय पेराकार का यह भी कथन है कि हस्तगत प्रकरण केवल सेना विभाग की भूमि से सबंधित नही है, वरन कोटा शहर की शांति व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। उक्त भूमि मे चांदमारी बालाजी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। तथा सेना विभाग द्वारा उक्त भूमि को अपना बताया जाने के कारण समय–समय पर विवाद उत्पन्न होते रहते है। इसके अतिरिक्त सेना विभाग द्वारा आसपास बने कुछ मकानों को नोटिस दिये जाने तथा उनके तोडे जाने की संभावना के कारण उन लोगों द्वारा लगातार प्रदर्शन किये जाते रहे है। उक्त परिस्थितियों चांदमारी बालाजी मंदिर तथा उसकों जाने वाले मार्ग की समस्या का निस्तारण भी इस न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायसंगत होगा। राजकीय पेराकार का कथन है कि यदि सेना विभाग के समस्त तर्को को स्वीकार कर लिया जाये तो भी सेना विभाग केवल 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि ही प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः चांदमारी बालाजी मंदिर विवाद के स्थाई समाधान के लिए 727 बीघा 18 बिस्वा भूमि मे से 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि सेना विभाग के नाम दर्ज करते हुए चांदमारी बालाजी मंदिर सहित शेष भूमि को सिवायचक दर्ज किया जाना उचित होगा।

8. हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 तथा 131 से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के अनुसार–

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

1. *इस संविधान के प्रारम्भ से (क) सभी संपति और आस्तियां, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के संगत किसी देशी राज्य मे निहित थी, संघ मे निहित हो जायेगी, यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसी सम्पति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले धारण की गई थीं, तत्पश्चात संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित संघ के प्रयोजन होगें, और (ख) पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के संगत किसी देशी राज्य की सरकार के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं, चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुई हों या अन्यथा, भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताए होगीं यदि वे प्रयोजन जिनके लिए ऐसे प्रारंम्भ से पहले अर्जित किए गए थे, या दायित्व या बाध्यतांए उपगत हुई थीं, तत्पश्चात संघ सूची मे प्रगणित किसी विषय से संबंधित भारत सरकार के प्रयोजन होगें, बशर्ते कि भारत सरकार उस राज्य की सरकार के साथ इस निमित्त कोई करार करे।*

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार :–

इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को, किसी अन्य न्यायालय को छोड़कर, किसी भी विवाद में आरंभिक अधिकारिता होगी–

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या

(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; या

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच, यदि और जहां तक विवाद में कोई प्रश्न (चाहे कानून का हो या तथ्य का) अंतर्वलित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है, परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार किसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्धता, सनद या अन्य समरूप लिखत से उत्पन्न विवाद पर नहीं होगा, जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी तथा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् भी प्रवर्तन में बनी रहती है, या जो यह उपबंध करती है कि उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।

हमने पत्रावली तथा सलंग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी तथा राजकीय पेरोकार की मौखिक बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 व 295 से भी ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

पत्रावली मे संलग्न सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन से कुछ तथ्य स्पष्टतया प्रमाणित होते है–

1. 1933 के दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि कुल 512 बीघा 02 बिस्वा भूमि को चांदमारी हेतु आरक्षित किया गया था।
2. सेना विभाग द्वारा प्रस्तुत टेकन ऑवर हैण्ड ऑवर दस्तावेज से यह प्रमाणित है कि सेना विभाग को दिनांक 04.12.1950 को 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रदान किया गया था।
3. सेना विभाग द्वारा प्रस्तुत हैण्ड ऑवर टेकन ऑवर नक्शे से भी यह प्रमाणित है कि ग्राम डडवाडा और खेडली पुरोहित मे सेना विभाग को कुल 779 बीघा 08 बिस्वा का कब्जा प्रदान किया गया था इसमे से ग्राम खेडली पुरोहित मे कब्जा प्रदान की गई 152 बीघा भूमि को कम करने पर यह प्रमाणित हो जाता है कि ग्राम डडवाडा मे सेना विभाग को 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि का ही कब्जा प्रदान किया गया था।
4. भू प्रबंध संवत 2016 से 2024 मे ग्राम डडवाडा मे सेना विभाग के खाते दौराने भू प्रबंध 716 बीघा 07 बिस्वा भूमि दर्ज की गई थी।
5. 716 बीघा 07 बिस्वा भूमि के है0 प्रणाली के अनुसार 115.96 हैक्टर बनते है संलग्न जमाबंदी सवंत 2038 से 2057 से यह प्रमाणित होता है कि दौराने सेटलमेंट संवत 2038 से 2057 उक्त आराजी का रकबा 117.67 हैक्टर दर्ज किया गया। इस प्रकार दौराने भू प्रबंध कार्यवाही संवत 2038–2057 मे भू प्रबंध विभाग द्वारा सेना विभाग की भूमि का रकबा 1.71 हैक्टर बढा दिया गया।
6. सेना विभाग को कब्जा प्रदान की गई भूमि 627 बीघा 08 बिस्वा थी जिसके मेट्रीक प्रणाली मे 101.56 हैक्टर बनते है जबकि जबांमदी संवत 2038 से 2057 के अनुसार सेना विभाग के खाते मे 117.67 हैक्टर भूमि दर्ज की गई जो आवंटित भूमि से 16.11 हैक्टर अधिक है।
7. क्योकि समस्त तथ्यों को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक रिकोर्ड पत्रावली पर उपलब्ध है, अतः एमएलआर को स्वीकार नही किया जा सकता।
8. 1972 मे जो बोर्ड गठित किया गया, वह सेना विभाग के नियंत्रण की भूमि के माप के लिए था। बोर्ड द्वारा फलित की गई भूमि व सेना विभाग को कब्जा प्रदान की गई भूमि मे कोई सम्बन्ध नही है।
9. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि टेकन ऑवर हैण्ड ऑवर दस्तावेज तथा नक्शे को एक साथ पढ़ा जावे। दोनो ही दस्तावेजों से कब्जा प्रदान की गई भूमि 627 बीघा 8 बिस्वा प्रमाणित होती है। माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उक्त दस्तावेजों पर संशय करने का कोई आधार इस न्यायालय के समक्ष नही है।

✓ हमारे विनम्र मत मे हस्तगत प्रकरण मे सेना विभाग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के आधार पर कब्जा प्रदान की गई भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

इस न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत रिकोर्ड तथा की गई विवेचना से यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि सेना विभाग को राज्य सरकार द्वारा 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि का ही कब्जा प्रदान किया गया था तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 295 के तहत सेना विभाग कब्जा प्राप्त की गई उक्त 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है किन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत् 2016 से 2024 मे बिना किसी अधिकारिता के 716 बीघा 07 बिस्वा भूमि सेना विभाग के नाम दर्ज कर दी गई तथा भू प्रबंध संवत 2038 से 57 मे पुनः 1.71 हैक्टर भूमि भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी अधिकारिता व बिना किसी सक्षम आदेश के सेना विभाग के खाते दर्ज कर दी गई जो न्यायोचित नही है। अतः हमारे विनम्र मत मे उक्त 16.11 हैक्टर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने योग्य है।

न्यायालय द्वारा स्वयं अन्य परिपेक्ष्य मे मौके का निरिक्षण किया गया है तथा न्यायालय का यह मत है कि अधिकांश क्षेत्र मे सेना विभाग के संवेदनशील निर्माण हो रखे है अतः सेना विभाग को आंवटित भूमि का निर्धारण आज के दिनांक मे कब्जा प्रदान की गई भूमि के आधार पर किया जाना उचित नही होगा। उक्त स्थिति मे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडने की पूर्ण संभावना है अतः हमारा मत है कि हस्तगत प्रकरण मे जिस भूमि पर सेना विभाग के निर्माण हो चुके है उन्हे सेना की गोपनीयता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत सेना विभाग के खाते ही दर्ज किया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डडवाडा में सेना विभाग के खाते दर्ज भूमि रकबा 117.67 हैक्टर मे से सेना विभाग को कब्जा प्रदान की गई 627 बीघा 08 बिस्वा भूमि (101.56 हैक्टर) सेना विभाग के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। शेष 16.11 हैक्टर भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज की जावे। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि मौका अनुसार चांदमारी बालाजी व उससे लगते हुये क्षेत्र तथा जिस स्थान पर सेना विभाग द्वारा पक्की दीवार कर ली गई है, उस क्षेत्र को छोडकर जो भूमि सेना विभाग के नियत्रंण मे है व जिस पर सेना विभाग के निर्माण हो चुके है उस 101.56 हैक्टर भूमि को सेना विभाग के खाते दर्ज किया जावे।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

07/07/25

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा